एफएमजी में वित्त सहायक के पद के लिए भर्ती सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र ;एनएचएसआरसी नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतया संविदात्मक आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्त प्रबंध समूह)
किसको रिपोर्ट करेंगे	निदेशक (एनएचएम–वित्त), अवर सचिव (एनएचएम–वित्त), और वित्त नियंत्रक
पद का नाम	**वित्त सहायक**
पदों की संख्या	एक
कार्य स्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन (अम्ब्रेला आर्गेनाइज़ेशन) है, जिसका उद्देश्य, प्राथमिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली उपलब्ध कराना है। एनएचएम के अधीन वित्त प्रबंध प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करने के लिए पूर्णतः संविदा आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में जन ' ाक्ति सहयोग की आवश्यकता होती है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त सहायक का कार्य आरसीएच फ्लेक्सीपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम और डेटा प्रविि" ट के साथ एनडीसीपी सहित फंडों के प्रबंध की निगरानी करना, फंड जारी करना, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, खर्च नहीं हुई धनराशियों, सांविधिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, ई–बैंकिंग, उपभोग प्रमाण पत्र, फील्ड समीक्षा दौरे और उनपर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखना है।

3. कार्य का विवरण

प्रमुख दायित्वः

(i) समग्र डेटा समेकन, गतिविधि–वार, प्रभाग–वार, राज्य–वार, तिमाही एवं **वर्ष-वार** वित्तीय एमआईएस निकालना, और आबंटन के प्रतिशत के संदर्भ में अवमुक्त और व्यय से संबंधित तुलनात्मक ब्यौरा तैयार करना।

(ii) मंजूरी आदेशों और उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) का पीएओ में समग्र समायोजन से संबंधित आरसीएच फ्लेक्सीपूल, टीकाकरण और मिशन फ्लेक्सिबल पूल के मंजूरी आदेशों (सैन्कशन आर्डर) की वित्त **वर्ष-वार** गार्ड फाइलें तैयार करना।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंडों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण करना, वेबसाइट को अद्यतन करना और एनडीसीपी सहित एनएचएम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के फंड अंतरण डेटाबेस का रखरखाव करना।

अन्य दायित्वः

(i) तिमाही एफएमआर, एनडीसीपी की मासिक स्टेटस रिपोर्टों की डेटा इन्ट्री करना और सभी संबंधित लोगों के कार्यालयी उपयोग हेतु आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रम/ घटक–वार डेटाबेस का रखरखाव करना।

(ii) आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 2005–06 और उसके उपरांत के उपभोग प्रमाण पत्रों की प्राप्तियों पर नज़र रखना और पीएओ (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के साथ उनके समासोधन हेतु राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में सहायता करना।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही एफएमआर, एसएफपी, सांविधिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर नज़र रखना और वित्त विश्ले" ाकों, वित्त नियंत्रकों ओर प्रभाग के नियमित अधिकारियों को फीडबैक उपलब्ध कराना।

(iv) एनडीसीपी से उनकी कुल धन अवमुक्ति (प्रोग्रेसिव फंड रिलीज), व्यय, अधिशे" ा धनराशि के बारे में वार्ता करना और उनसे विनिर्धारित मासिक स्टेटस रिपोर्टें प्राप्त करना।

(v) सांविधिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, लेखा–परीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन की प्रगति के बारे में एसएचएस/डीएचएस से संपर्क बनाए रखना और समय–समय पर एफएमजी और नियमित अधिकारियों को फीडबैक देना।

(vi) विकास भागीदारों से हुए अर्ह व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए व्यय विवरण तैयार करना।

(vii) वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा नि" पादन की समीक्षा, विशिष्ट वित्तीय अध्ययन और टिप्पणियों और सुधार की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्यों का संयुक्त टीम दौरा करना।

(viii) वित्त/लेखा से जुड़े राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के स्टाफ के लिए आम तौर पर और जेआरएम, सीआरएम, समीक्षा रिपोर्टों और लेखा–परीक्षा प्रेक्षणों से प्राप्त इनपुट के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ix) वित्त नियंत्रकों, वित्त विश्ले" ाकों और एनएचएम वित्त प्रभाग और अन्य कार्यक्रम प्रभागों के नियमित अधिकारियों को उनकी आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

4. कार्य-निष्पादन

सभी कार्यों और दायित्वों पर समय से कार्रवाई और निदेशक (एनएचएम–वित्त), अवर सचिव (एनएचएम–वित्त), वित्त नियंत्रक और वित्त विश्ले" ाक को कार्य सहयोग प्रदान करना।

5. शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.कॉम या बी.कॉम ऑनर्स या बी.कॉम उपाधि।

सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम 3 से 4 **वर्षों** का अनुभव। लेखा पैकेजों अधिमानतः टैली, एमएस–ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पाइंट का ज्ञान वांछनीय होगा।

6. यात्रा और निर्वाह

परामर्शदाता राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक (एनएचएम–वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाएगा। यात्रा के दौरान, परामर्शदाता को एनएचएसआरसी या भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक नियत यात्रा/आवास खर्च के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

7. **रिपोर्टिंग जरूरतें**

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में एफएमजी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8. **परामर्श अवधि**

आरंभ में, यह एक **वर्ष** के लिए होगी। **शुरू** के तीन महीने परीक्षण के आधार पर होंगे। संतो" ाजनक प्रदर्शन की स्थिति में, परामर्श पूरे एक **वर्ष** के लिए जारी रहेगा और संविदा को आगे पूर्णतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा लिखित में एक महीने का नोटिस देकर परामर्श को निरस्त किया जा सकता है।

9. **पारिश्रमिक**

परामर्शदाता को उनकी **शैक्षणिक** योग्यता और अनुभव के आधार पर भारत सरकार, एनएचएसआरसी और अन्य नामित वि" ाय विशे" ाज्ञों के संयुक्त चयन मंडल के निर्णयानुसार प्रति माह 40000/– रु. से 60000/– रु. तक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यदि भारत सरकार के बजट से तैनाती और भुगतान किया जाता है, तो इस उद्देश्य हेतु खुले विज्ञापन के समय मौजूद ' ार्तों के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा पारिश्रमिक का निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता, परामर्श करार में **स्पष्ट** रूप से उपलब्ध लाभों के अलावा किसी अन्य लाभ, भुगतान, सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता को कराधान से कोई छूट नहीं दी जाएगी और वह प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता का हालिया जीवन वृत्त (सीवी) और पिछले परामर्श के भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाना **चाहि**ए।

१०. आयु:

आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को आवेदक (व्यक्ति) की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए।

आवेदन की प्रक्रियाः कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता हैं के वह निर्धारित आबेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के ई-मेल nhm.recruitment@nhsrcindia.org में दिनांक **17-Apr-2017** को अपराह्न्न **4** बजे तक **अवश्य भेज दे**। केवल निर्धारित **TOR के** सहित **संलग्न आवेदन पत्र** में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।